प्रकरण संख्या 4/2019 दलीचन्द व अन्य बनाम गमाना व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.10.2019	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण के पिता परथा द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि आराजी नंबर 379 से 384, 388, 392 से 395 कुल किता 11 रकबा 2.05 हैक्टर भूमि ग्राम खाम्बीया में स्थित है, जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 2/3 हिस्सा संयुक्त रूप से निहित है तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का 1/3 हिस्सा निहित है, किन्तु भूमियां सहखातेदारी में दर्ज होने से पक्षकारों में सीमा विवाद होता है। अतः विवादित भूमियों का उपरोक्तानुसार विभाजन किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे। उक्त वाद के खण्डन का जवाबदावा प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत किया गया तथा साथ में प्रतिदावा भी प्रस्तुत किया गया, जिसका जवाबुल जवाब वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखा जाकर दिनांक 28.05.2016 से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 20.02.2019 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से वकील श्री झालमसिंह मोजावत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अपीलान्ट द्वारा दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट के पिता काफी वृद्ध होकर बीमार रहते थे, जिसकी मृत्यु दिनांक 18.07.2017 को हो गयी। विपक्षीगण द्वारा मौके पर निर्माण कार्य चालू किये जाने पर अपीलान्टगण को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई।	

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण को बिना सुने व बिना सूचना दिये निर्णय पारित किया गया है, इस कारण उन्हें निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी। अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमने उक्त आवेदन पर बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 28.04.2016 नियत थी, किन्तु इसके स्थान पर दिनांक 28.05.2016 को प्रकरण में राजस्व कैम्प में रखकर निर्णय पारित कर दिया गया, जिसकी किसी प्रकार की सूचना अपीलान्टगण को दिये जाने की कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं हैं। अतः न्यायहित में दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया तथा मुख्य रूप से यह आपत्ति ली कि तहसीलदार स्वयं मौके पर नहीं गये तथा बंटवाड़ा रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गयी है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व कैम्प में रखे जाने की कोई सूचना अपीलान्टगण को नहीं दी है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार होना बताते हुए अपील खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 28.04.2016 को नियत थी, किन्तु उक्त दिनांक की कोई आदेशिका पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है एवं प्रकरण सीधे ही दिनांक 28.05.2016 को राजस्व लोक अदालत में रखा

जाकर निर्णय पारित कर दिया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह भी प्रकट आया कि तहसीलदार गोगुन्दा को कमिश्नर नियुक्त किया गया था, किन्तु फर्द बंटवाड़ा तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया जाकर पटवारी हल्का द्वारा तैयार गया है, जबकि तहसीलदार को अपनी शक्तियां प्रत्याहरित करने का कोई अधिकार नहीं है। तद्नुसार उक्त फर्द बंटवाड़े के आधार पर पारित निर्णय व अंतिम डिक्री भी त्रुटि पूर्ण हो जाती है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2016 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में तहसीलदार स्वयं मौके पर जाकर उभयपक्षों की उपस्थिति में फर्द बंटवाड़ा तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करें। तत्पश्चात अधिनस्थ न्यायालय यदि उक्त फर्द बंटवाड़े पर पक्षकारान की कोई आपत्तियां हैं तो उनका निराकरण करते हुए प्रकरण में उभयपक्षों की उपस्थिति में एवं उन्हें सुनकर अंतिम डिक्री जारी करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.12.2019 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

प्रकरण संख्या 4/2019 दलीचन्द व अन्य बनाम गमाना व अन्य

प्रकरण संख्या 4/2019 दलीचन्द व अन्य बनाम गमाना व अन्य